25/05/24

पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके त्रुटि सुधार हेतु पेश किया गया जिस पर सिगाह से तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया कि निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 के अंतिम पेरे की लाईन मे त्रुटि से 3.10.24 दर्ज हो गया है। जबकि 3.10.23 है। अत: त्रुटि सुधार कर 3.10.23 अंकित किया जावे।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। निर्णय दिनांक 5.3.24 मे द्वितीय पृष्ठ के अन्तिम पैरे के लाईन न. 6 मे तहसीलदार गिर्वा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध मे पत्रांक दिनांक लिपिकीय त्रुटिवश 03.10.2024 अंकित किया गया है जबकि वास्तविक दिनांक रिपोर्ट अनुसार 31.01.2024 है।

अत: धारा 152 CPC ~~में~~ के अन्तर्गत उक्त लिपीकीय त्रुटि को दुरुस्त किया जाकर लाल स्याही से दिनांक 31.01.2024 किया जाता है।

निर्णय मूल उजरदास दुनादा/ प्रकरण फैजल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.05.25 13:47:49 IST
Reason: SelfAttested

(रिया डाबी)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर